न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ़ (जिला श्रीगंगानगर)

पीठासीन अधिकारीः–कन्हैयालाल सोनगरा (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या– 02/2021 दायरा दिनांक 22.01.2021 GCMS CASE NO-2021/02

स्वरूप सिंह पुत्र सुगनाराम जाति जाट निवासी ऐटा तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

–प्रार्थी

बनाम

1. गीतादेवी पत्नी सुगनाराम जाति जाट निवासी ऐटा तहसील सूरतगढ़
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व सूरतगढ़

——अप्रार्थीगण

शिकायत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 11, 14 उपनिवेशन अधिनियम 1954 सपठित

उपस्थितः–

1. श्री धर्मपाल सिहाग, अधिवक्ता प्रार्थी
2. श्री अजय अरोडा अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 01
3. पैरोकार राज अप्रार्थी संख्या 02

–:: निर्णय ::– दिनांक : 16.12.2024

प्रकरण में संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अप्रार्थी संख्या 1 के नाम से वाके रोही ऐटा पटवार हल्का ठेठार की जमाबंदी संवत 2068 ता 71 के खसरा न. 158/2 में 1.568 है0 व खसरा न. 158/3 में 4.149 है0 व खसरा न. 175/8 में 3.896 है0 इस प्रकार कुल 9.613 है0 बारानी भूमि खातेदारी दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त रकबा अप्रार्थी संख्या 01 को उसके पति सुगनाराम पुत्र गणपतराम से दान में प्राप्त रकबा है। अप्रार्थी संख्या 1 के पति को उक्त रकबा टीसी आवंटन था जो अप्रार्थी संख्या 01 के पति सुगनाराम ने तथ्यों को छुपाकर आवंटन करवाया था। अप्रार्थी संख्या 1 के पति सुगनाराम के नाम रोही ऐटा की जमाबंदी संवत 2068 ता 71 के खाता संख्या 65/120 के खसरा न. 129/1 में 6.325 है0 व खसरा न. 322 में 3.074 है0 व खसरा न. 324 में 0.886 है0 व खसरा न. 334 में 3.479 है0 व खसरा न. 346 में 1.354 है0 इस प्रकार कुल 15.118 है0 बारानी भूमि में 1/9 हिस्सा व इसी रोही के खाता संख्या 67/199 के खसरा न. 113 में 2.454 है0 व खसरा न. 124 में 5.149 है0 व खसरा न. 345 में 3.428 है0 व खसरा न. 359 में 1.290 है0 व खसरा न. 367 में 0.506 है0 खसरा न. 503/115 में 4.883 है0 खसरा न. 506/120 में 2.732 है0 व खसरा न. 672/361 में 5.363 है0 इस प्रकार कुल 25.805 है0 बारानी में 1/4 हिस्सा में 1/36 हिस्सा भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। टीसी आवंटन के समय अप्रार्थी संख्या 01 के पति सुगनाराम ने जैर प्रकरण रकबा अपने पिता के नाम से है, को छुपाकर आवंटन करवाया है। आवंटन के पश्चात इसके खातेदारी अधिकार बिना कब्जा के प्राप्त कर लिये व शिकायत से बचने के लिए खातेदारी होने के पश्चात यह रकबा अपनी पत्नी अप्रार्थी संख्या 01 को दान स्वरूप दे दिया। अप्रार्थी संख्या 1 के पति सुगनाराम का उक्त रकबा पर कभी भी कब्जा काश्त नही रहा व ना ही कभी टीसी नवीनीकरण हुआ एव ना ही रकम मालकाना जमा करवाया गया है। आवंटन के समय अप्रार्थी संख्या 01 के पित सुगनाराम द्वारा अपने पिता गणपतराम के नाम के रकबा से स्वयं को नोशनल शेयर में मिलने वाले रकबा को नहीं दर्शाया है। अगर दर्शाया होता तो यह रकबा कभी भी अप्रार्थी संख्या 1 के पित को आवंटन नहीं होता। सुगनाराम के नाम अन्य खसरों में भी भूमि थी व स्वयं का पेशा काश्तकारी भी नही था। अप्रार्थी संख्या [illegible] की दुकान चलाता था। आवंटन नियमों के अनुसार भूमि आवंटन हेतु वही व[illegible] जिसका पेशा काश्तकारी हो। सुगनाराम कभी भी ऐटा गांव के निवासी भी नही [illegible]। अप्रार्थी संख्या 1 के पति के नाम सीलिंग सीमा से [illegible] होने से व[illegible]टन का पात्र नही होने के कारण आवंटन खारिज किया जाकर रकबा [illegible] सरकार लैंड के आदेश [illegible] जावे।

आतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (श्री गंगानगर)

1101

Signature Not Verified
Digitally signed by Kanhaiya Lal Songara
Date: 2024.12.20 11:24:12 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया । प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री धर्मपाल सिहाग उपस्थित हुए। अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से अधिवक्ता श्री अजय कुमार अरोडा एवं अप्रार्थी संख्या 02 पैरोकार राज हाजिर आये। बहस उभय पक्ष सुनी गई।

अधिवक्ता प्रार्थी ने दौराने बहस कथन किया कि प्रार्थना पत्र मीमों में अंकित तथ्य एवं प्रार्थना पत्र को सिद्व करने वाले दस्तावेजात ही मेरी बहस है।

अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 01 ने दौराने बहस जवाब में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि मुझ अप्रार्थी संख्या 1 के पति सुगनाराम के नाम से टीसी आवंटन विधिवत आवंटन है। किसी भी नियम की अवहेलना नहीं हुई है। प्रार्थी के कथन मात्र से आवंटन गलत साबित नही होता है। प्रार्थी ने मुझ अप्रार्थी संख्या 1 के पति के नाम से अन्य भूमि होने का विवरण दिया है, यदि उस भूमि को भी शामिल कर लिया जावे तब भी टीसी आवंटन सीलिग सीमा से कम होता है। भूमि आवंटन से लेकर आज तक लगातार अप्रार्थीया के पति व मुझ अप्रार्थीया के कब्जा काश्त में चली आ रही है। आज भी अप्रार्थी संख्या 01 मौका पर काबिज है। नोशनल शेयर का निर्धारण उपनिवेशन क्षेत्र की भूमि के टीसी पुख्ता के समय किया जाता है। आवंटी सुगनाराम को खातेदारी अधिकार राजस्थान भू–राजस्व कृषि भूमि के आवंटन नियम 1970 के नियम 18 के अन्तर्गत प्राप्त हुए है। इन नियमों सिलिंग सीमा तक खातेदारी प्रदान किये जाने के प्रावधान है। सक्षम अधिकारी द्वारा कब्जा काश्त सिलिंग सीमा आदि सम्पूर्ण तथ्यों की जांच उपरांत ही खातेदारी अधिकार प्रदान किये गये है। यह भूमि उपनिवेशन क्षेत्र से बाहर की भूमि है। इस भूमि पर उपनिवेशन अधिनियम लागू नही होने के कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 11, 14 शासित नहीं होता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र निरस्त किया जावे।

अप्रार्थी संख्या 02 पैरोकार राज ने दौराने बहस राज्य हित को ध्यान में रखते हुए निर्णय पारित करने हेतु निवेदन किया।

हमने उभय पक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन किया। जैर प्रकरण रकबा अप्रार्थी संख्या 01 गीतादेवी को अपने पति सुगनाराम से जरिये रजिस्टर्ड उपहार–संलेख (दान पत्र) प्राप्त हुआ है। उक्त रकबा सुगनाराम को तथ्य छुपाकर टीसी आवंटन होने एवं खातेदारी होने संबंधी कोई साक्ष्य प्रार्थी द्वारा पेश नही किये गये। पत्रावली के अवलोकन से अप्रार्थीगण द्वारा किसी प्रकार के कोई तथ्य आवंटन एवं आवंटन के पश्चात छुपाया जाना साबित नहीं होता। शिकातकर्ता द्वारा ऐसे कोई पेश नहीं किये जिससे शिकायत की पुष्ठि हो सके। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सारहीन पाये जाने के कारण खारिज किये जाने योग्य है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सारहीन होने से निरस्त किया जाता है तथा हस्तगत पत्रावली की आदेशिका दिनांक 22.01.2021 द्वारा जारी स्थगन आदेश भी निरस्त किया जाता है। निर्णय की प्रति तहसीलदार सूरतगढ़ को पालनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु भिजवाई जावे। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कन्हैया लाल सोनगरा)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (श्री गंगानगर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Kanhaiya Lal Songara
Date: 2024.12.20 11:24:12 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner